विविध बैंक प्रकरण संख्या 07 / 2020(GCMS : 2020/00024) भारतीय स्टेट बैंक, शाखा नाइयाँवाली (17830) जरिये राजेन्द्र कुमार जी प्राधिकृत अधिकारी / मुख्य प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय-03, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर **बनाम मैसर्स एक्स जोन -प्रो. नरेन्द्र** कुमार पुत्र श्री परमानंद पता मकान नं. 10-ए, सेतिया फार्म, दुकान नं. 2-3, श्रीगंगानगर (राज.) मकान नं. 1-बी, सेतिया कॉलोनी, दुकान नं. 05, सेतिया फार्म, मैन [illegible] श्रीगंगानगर (राज.) 3. मकान नं. 180-बी, सेतिया फार्म, वार्ड नं. 24 गली नं. 04, श्रीगंगानगर

03.08.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा की पर्चा पैरवी पर श्री मंगतराम, अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 17.01.2020 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी मै. एक्स जोन - प्रो. नरेन्द्र कुमार को ऋण सुविधा के रूप में 10.00/- लाख रूपये (अखरे रूपये दस लाख मात्र) का ऋण दिनांक 30.05.2017 स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी मैसर्स एक्स जॉन की सम्पति स्टॉक (Readymade Garments. Hosiery Goods. Cosmetic Goods. Woolen Goods. Under Garments. Leather Goods. Deo Perfume. Footwear. All Kind of Packing Materials. Cloth etc.) सहित बैंक ऋण (वर्तमान व भविष्य) द्वारा बनाई गई सम्पूर्ण वर्तमान और सभी संपतिया दृष्टि बंधक संपत्तियां प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी [illegible] आगे कथन था कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार [illegible] का भुगतान नहीं किया गया है, जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 28.08.2019 अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 23.09.2019 को 10,37,402/-रूपये ऋण राशि व

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:39:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है **जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 23.09.2019 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया।** धारा 13(2) के 60 दिवस के उक्त नोटिस पर अप्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 01.10.2019 को भिजवाये गये है तथा नोटिस पर अप्रार्थी मैसर्स एक्स जोन के प्रो. नरेन्द्र कुमार के हस्ताक्षर भी करवाये है, **इसके बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थी ऋणी मैसर्स एक्स जोन–प्रो.नरेन्द्र कुमार द्वारा प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी अपनी सम्पति स्टॉक (Readymade Garments. Hosiery Goods. Cosmetic Goods. Woolen Goods. Under Garments. Leather Goods. Deo Perfume. Footwear, All Kind of Packing Materials. Cloth etc.) का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैंने, प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थी मैसर्स एक्स जोन –प्रो. नरेन्द्र कुमार** को 10.00/–लाख रूपये (अखरे रूपये दस लाख मात्र) के ऋण राशि की स्वीकृति 30.05.2017 **को प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी मैसर्स एक्स जोन–प्रो. नरेन्द्र कुमार की सम्पति स्टॉक (Readymade Garments. Hosiery Goods. Cosmetic Goods. Woolen Goods. Under Garments. Leather Goods. Deo Perfume, Footwear, All Kind of Packing Materials. Cloth etc.) प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 28.08.2019 **को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:39:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है तथा अप्रार्थी के स्वयं का हस्ताक्षरयुक्त धारा 13(2) का नोटिस पत्रावली में उपलब्ध है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी मैसर्स एक्स जोन – प्रो. नरेन्द्र कुमार के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपत्ति (स्टॉक) का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक शाखा नाइयांवाली का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और मैसर्स एक्स जोन–प्रो. नरेन्द्र कुमार की सम्पत्ति स्टॉक (Readymade Garments. Hosiery Goods. Cosmetic Goods. Woolen Goods. Under Garments. Leather Goods. Deo Perfume. Footwear. All Kind of Packing Materials. Cloth etc.) **का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त चल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक [illegible].08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:39:13 IST
Reason: SelfAttested

को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 23.009.2019 को जारी किये गये है तथा पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 01.10.2019 को भिजवाये गये है, जसकी तामिल के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के आनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है तथा अप्रार्थी के स्वयं के हस्ताक्षर युक्त नोटिस की प्रति भी पत्रावली में उपलब्ध है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/ जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी मैसर्स एक्स जोन–प्रो. नरेन्द्र कुमार द्वारा अपनी सम्पत्ति स्टॉक (Readymade Garments. Hosiery Goods. Cosmetic Goods. Woolen Goods. Under Garments. Leather Goods. Deo Perfume, Footwear, All Kind of Packing Materials, Cloth etc.) जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखा हुआ है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:39:13 IST
Reason: SelfAttested

जहां तक अप्रार्थी ऋणियों [illegible] धारा 13(2) के **जारी** नोटिस 23.09.2019 की तामील [illegible] पत्र के अनुसार दिनांक 23.09.2019 को 60 दिवस में राशि जमा [illegible]ने का धारा 13(2) के जारी नोटिस अप्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 01.10.2019 को भिजवाये जाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस की

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर